


राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.18(35)नविवि/सेक्टर प्लान/2015

जयपुर, दिनांक—21 MAR 2018

आदेश

राज्य के नगरीय क्षेत्रों के जोनल ड्वलपमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 15.02.2018 के निर्णयानुसार जोनल ड्वलपमेंट प्लान बनाये जाने का कार्य नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जायेगा। नगर नियोजन विभाग में इस कार्य हेतु आतंगक योग्य जनशक्ति उपलब्ध है। प्राविकरण क्षेत्रों में जोनल ड्वलपमेंट प्लान तैयार किये जाने का कार्य संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर कराया जायेगा। जोनल ड्वलपमेंट प्लान की एकरूपता रखे जाने की दृष्टि से एकीकृत गाईड लाईन्स संयुक्त रूप से संयुक्त सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी की जावेंगी।

  
293118  
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)  
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव—प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. रक्षित पत्रावली।

  
293118  
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम